राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48)/ग्राविवि –5/PMAY-G/एम–1/जिला/2017–18 जयपुर, दिनांक 05 सितम्बर, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के साथ अन्य योजनाओं से देय लाभ/मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं कन्वर्जेंस की प्रगति की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 20.07.17, 31.05.19, 17.06.19, 05.07.19 एवं 09.08.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास स्वीकृति के साथ कन्वर्जेंस के तहत अन्य योजनाओं से देय लाभ/मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

उक्त कम में योजनान्तर्गत विभागीय पत्र दिनांक 09.08.19 द्वारा दिनांक 24.8.19 व 31.08.19 को वर्ष 2019–20 के स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों का पंचायत समिति स्तर पर वृहद लाभार्थी प्रशिक्षण एवं पात्र लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से देय अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त प्रशिक्षण/कार्यशाला के दौरान योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं की पात्रता अनुसार स्वीकृति जारी कराकर लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था–

1. महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल मानव दिवसो की मस्टररोल जारी करना एवं अपना खेत अपना काम के तहत कैटल शेड, बकरी शेड, भूमि समतलीकरण, चैक डेम आदि की स्वीकृतियां जारी करना।
2. महात्मा गांधी नरेगा से एसबीएम/मनरेगा से लाभान्वित नहीं लेकिन पात्र लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय की स्वीकृति जारी करना।
3. सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन।
4. उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन।
5. श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों की योजनाओं का लाभ।

अतः उक्त संबंध में वर्ष 2019–20 में स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण/कार्यशाला के दौरान विभिन्न योजनाओं के देय लाभ हेतु जारी स्वीकृतियों की सूचना संलग्न प्रपत्र 1 एवं वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को कन्वर्जेंस के तहत अन्य योजनाओं से दिये गये लाभों की सूचना संलग्न प्रपत्र 2 में दिनांक 11.09.19 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय
5/9/19
(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\Others.docx

प्रपत्र 1

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लाभार्थियों को प्रशिक्षण शिविर (24.08.19 से 31.08.19) के दौरान अन्य योजनाओं से दिये गये लाभ की सूचना

क्र.स.	नाम जिला	पंचायत समिति	लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या	स्वीकृत आवासों में से भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या	भूमिहीन लाभार्थियों को पट्टा आवंटन की संख्या	अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस के तहत जारी स्वीकृतियों की संख्या						
							महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत मस्टररोल जारी	अपना खेत अपना काम के तहत जारी स्वीकृतियां	शौचालय की जारी स्वीकृतियां	सौभाग्य योजना/ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विद्युत कनेक्शन	उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन	श्रमिक अधिकार कार्ड	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र 2

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को कन्वर्जेंस के तहत देय लाभ की सूचना

क्र.स.	नाम जिला	पंचायत समिति	स्वीकृत आवासों की संख्या	स्वीकृत आवासों में से भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या	भूमिहीन लाभार्थियों को पट्टा आवंटन की संख्या	अपना खेत अपना काम के तहत जारी स्वीकृतियां	शौचालय की जारी स्वीकृतियां	सौभाग्य योजना/ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विद्युत कनेक्शन	उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन	श्रमिक अधिकार कार्ड	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12